

प्रेषक,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

सेवा में,

सहायक निदेशक/आहरण वितरण अधिकारी
डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड,
पिथौरागढ़।

पत्रांक 4822-26/0202/ब.आवं.पत्रा.डे.वि.यो.(सामा) पत्रा./2024-25 दिनांक 03 मार्च, 2025
विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-28 अंतर्गत 03-डेरी विकास योजना (सामान्य)
में धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश सं0-73/XV-2/2025-01(14)/2018(डेरी) दिनांक 22, फरवरी 2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-28 के अंतर्गत डेरी विकास योजना (सामान्य) में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्यालय संयुक्त निदेशक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, सम्पर्क कार्यालय, देहरादून के पत्र संख्या- 1/55060/2025/नियोजन-डे0वि0यो0 पत्रा0 (ई15920) दिनांक 28.02.2025 के द्वारा उपलब्ध फॉट के आधार पर जनपद पिथौरागढ़ हेतु कुल धनराशि रू0 38,12,000/- (रू0 अड़तीस लाख बारह हजार) मात्र की धनराशि का आवंटन शासनादेश में निहित निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन योजना के निम्न मदों हेतु किया जाता है।

क्र0 सं0	नाम कार्यालय	सचिव प्रोत्साहन	प्रबन्धकीय अनुदान	यातायात अनुदान	दुग्धशाला मरम्मत/सूक्ष्म संयंत्र	चार धाम मार्ग/संयंत्र मरम्मत/बायो सी0 एन0जी0	कुल योग
1	सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड, पिथौरागढ़।	5,20,000	1,80,000	17,12,000	14,00,000	0	38,12,000

- अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय साथ ही इस धनराशि का एकमुस्त आहरण न कर आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जाय।
- सभी कार्यों का जनपदवार वार्षिक/मासिक लक्ष्यों का निर्धारण तत्काल कर दिया जाय तथा फील्ड स्तर पर निर्धारित किये गये लक्ष्यों की सूचना उपलब्ध करा दी जाय।
- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों एवं शासन के वर्तमान मितव्ययता संबंधी आदेशों के अन्तर्गत किया जाय।
- स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्हीं मदों पर किया जाय, जिसके लिए धनराशि प्रदान की जा रही है। यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जाता है तो संबंधित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।
- बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक प्रतिमाह की 03 ता0 तक प्रपत्र बी0एम0-04 पर सूचना निदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
- कोषागार में बीजक प्रस्तुत करते समय अनुदान संख्या एवं लेखाशीर्षक का सही रूप से अंकन करना सुनिश्चित करेंगे।



क्रमश:-2

7. धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। आवंटित धनराशि का उपयोग नियमानुसार 31 मार्च, 2025 से पूर्व शत-प्रतिशत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
 8. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेंट रूल्स 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-01 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), संग्रह खण्ड-05 भाग-01 (लेखा नियम), आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मेनुअल) तथा सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही मितव्ययता संबंधी आदेशों, डी0जी0एस0एन0डी की दरें टेन्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा निर्देशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जाय।
 9. धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी से स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
 10. आवंटित की जा रही धनराशि हेतु वित्त अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 201358/09/(150)/2019/XXVII(1), 2024 दिनांक 22 मार्च, 2024 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा लाभार्थियों की सूची सहित निदेशालय/सम्पर्क कार्यालय, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
 11. विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जायेगी कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जाएगा।
 12. किसी भी दशा में शासन से अनुमति प्राप्त किये बिना धनराशि का आहरण पांकिंग आफ फण्ड हेतु अथवा पी0एल0ए0/अन्य विभागीय खातों में रखें जाने हेतु ना किया जाय, इस हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2404-डैरी विकास, 00-102-डैरी विकास परियोजनायें, 03-डैरी विकास योजना, 00-56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जयेगा।
- संलग्नक : बजट आई0डी0


(नवीन चन्द्र बहुगुणा)
वित्त अधिकारी

पृ0 सं0 /तददिनांकित

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
3. सचिव, डैरी विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. प्रबन्धक/प्रधान प्रबन्धक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पिथौरागढ़।


(नवीन चन्द्र बहुगुणा)
वित्त अधिकारी

**बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)**

Signature Not Verified

 Digitally signed by: Mr Naveen Chandra
 Bahuguna
 Reason :HOD E-Approval
 Location: Cyber Treasury
 Date and Time: 28-02-2025 14:35:47

Head of Department : Director Dairy Development (2353)

Treasury-Pithoragarh(3800)

DDO-Assistant Director Dairy DevelopmentPithoragarh(2353)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H25020280059

अनुदान संख्या - 028

आवंटन पत्र दिनांक - 28-FEB-2025

लेखा शीर्षक -

2404	डेयरी विकास	00	-
102	डेरी विकास परियोजनाएं	03	डेरी विकास की योजना
00	डेरी विकास की योजना		

Voted

2	4	0	4	0	0	1	0	2	0	3	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	973000	3812000	973000	4785000
	योग	973000	3812000	973000	4785000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 38,12,000 (Rupees Thirty Eight Lacs Twelve Thousand Only)

Batch ID : DIS:2353:2353:2502:0023

Approval Status : e-Sign letter

Uttarakhand